न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00057 (56/2019) **दायरा दिनांक : 15.04.2019**

उनवान

1. हेमलता बेवा श्याम मुरारी
2. दीनदयाल पुत्र श्याम मुरारी
3. धर्मवीर पुत्र श्याम मुरारी

जातियान ब्राहमण, निवासीगण जगदीशपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री एस. के. राणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 21.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 18/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 71/2 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम जगदीशपुरा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 से वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम जगदीशपुरा में कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा श्याम मुरारी पुत्र नन्दलाल, जाति ब्राहमण, निवासी केलवाडा को दिनांक 25.05.1966 को आवंटन हुई थी, उक्त आवंटन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को नामान्तरकरण संख्या 266 से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया था। आवंटी खातेदार श्याम मुरारी फौत हो चुका है। अपीलांट्स मृतक श्याम मुरारी के जायज वारिसान एवं कायम मुकामान हैं। सम्वत 2061–2064 में मृतक श्याम मुरारी ने इन आराजीयात पर कृषि ऋण भी लिया था। इन कृषि भूमियों को अपीलांट को सुने बिना ही सिवाय चक घोषित कर दिया गया। जबकि अपीलांट वक्त आवंटन दिनांक 25.05.1966 से ही बदस्तूर काश्त करते व फसले लेते चले आ रहे हैं। तहसील किशनगंज में आवेदन प्रस्तुत करने पर 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलांट के खाते दर्ज कर दी तथा शेष 20 बीघा सिवाय चक ही रहने दी, जिस पर अपीलांट क्रम 1 हेमलता को 6 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट क्रम 2 दीनदयाल को 7 बीघा एवं अपीलांट क्रम 3 धर्मवीर को 7 बीघा तीनों को सर्वथा गलत तौर पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही कर रेस्पोडेंट की ओर से जुर्माना व सजा देकर परेशान किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा खातेदारी हकूकों की घोषणा एवं रेस्पोडेंट द्वारा अनाधिकृत तौर पर 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के यहां प्रस्तुत किया गया था। 2 वर्ष तक रेस्पोडेंट तहसीलदार किशनगंज द्वारा इसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तथा न्याय आपके हक में इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से तहसीलदार किशनगंज का जवाब लेकर निर्णय पारित कर दिया कि सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था तथा इंतकाल निरस्तीकरण की कार्यवाही करनी चाहिये थी। तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपीलांट्स के खातेदारी की कृषि भूमि 37 बीघा 11 बिस्वा में से 20 बीघा 9 बिस्वा को सिवाय चक दर्ज कर शेष भूमि पर खातेदारी प्रदान कर दी गई है, अपीलांट्स की आराजी खसरा नम्बर 71/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 8 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा पर अपने खातेदारी अधिकार घोषित करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आराजी खसरा नम्बर 71/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 8 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जगदीशपुरा का खातेदारी कृषक घोषित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.01.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि श्याम मुरारी पुत्र नन्दलाल के खाते की कुल आराजी 37 बीघा गैरखातेदारी में दर्ज थी जिसमें से 17 बीघा आराजी पर खातेदारी दी गई और 20 बीघा आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त आराजी सिवाय चक होने की वजह से तहसीलदार द्वारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। हमने 20 बीघा आराजी के लिए घोषणा का दावा किया था जिसमें सरकार का जवाब नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प में प्रकरण का बिना तनकी कायम किये निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया। वादग्रस्त आराजी में हमे खातेदारी दी जाये क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट पैरोकार सरकार ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया है कि प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय दिनांक 15.05.2018 व उनवान हेमलता बेवा श्याममुरारी, दीनदयाल पुत्र श्याममुरारी, धर्मवीर पुत्र श्याममुरारी, जाति ब्राम्हण, निवासी जगदीशपुरा, तहसील किशनगंज बनाम राजस्थान सरकार दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी हेमलता बेवा श्याम मुरारी वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम जगदीशपुरा की भूमि खसरा नम्बर 71/2 रकबा 10.10 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 5.12 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 11.09 बीघा, खसरा नम्बर 96 रकबा 10.08 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 37.11 बीघा अवस्थित है जो राजस्व अभिलेख में श्याममुरारी पुत्र नन्दलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी केलवाड़ा के खातेदारी दर्ज थी जिसमें से खसरा नम्बर 71/2 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नम्बर 96 रकबा 10.08 बीघा कुल 20 बीघा 9 बिस्वा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1966 निरस्त होने से सिवायचक दर्ज कर दी गयी है।

यह कि विवादित आराजी खातेदार श्याममुरारी पुत्र नन्दलाल बहैसियत कृषक दिनांक 25.05.1966 से ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त विवादित आराजी को काश्त करते आ रहे हैं। भूमि सिवायचक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज होने के बाद से वादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर भूमि से बेदखल कर दिया गया।

अतः वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 71/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जगदीशपुरा पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज :– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन व अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे से यह तथ्य प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में खसरा नम्बर 71/2 10.02 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 5.12 बीघा, खसरा नम्बर 83 रकबा 11.09 बीघा व खसरा नम्बर 96 रकबा 10.08 बीघा कुल किता 04 रकबा 37.11 बीघा भूमि श्याममुरारी पुत्र नन्दलाल जाति ब्राम्हण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, राज्य सरकार के आदेश से नामांतरण नं० 138 पर दी गयी आज्ञा से वर्ष 1966 के समस्त आवंटन निरस्त होने के कारण नामांतरण संख्या 266 दिनांक 26.04.2013 से खसरा नम्बर 71 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नम्बर 96 रकबा 10.08 बीघा कुल किता 03 रकबा 20.09 बीघा सिवायचक दर्ज हुई शेष भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 5.12 बीघा व खसरा नम्बर 89 रकबा 3.10 बीघा कुल 17.02 बीघा भूमि पर नामांतरण संख्या 267 दिनांक 16.05.2013 से श्याममुरारी ब्राम्हण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, खातेदार श्याममुरारी पुत्र नंदलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान पुत्र दीनदयाल, धर्मवीर याज्ञवलक्य, पुत्रियां विनिता, पुनिता व बेवा हेमलता ब्राम्हण का नाम दर्ज हुआ, नामान्तरण संख्या 285 रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र द्वारा विनिता, पुनिता के हिस्से पर दीनदयाल, धर्मवीर, याज्ञवलक्य का नाम दर्ज हुआ।

सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 7 बीघा पर दीनदयाल पुत्र श्याममुरारी ब्राहम्ण, खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा भूमि पर धर्मवीर पुत्र श्याममुरारी ब्राम्हण व खसरा नम्बर 71 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.19 बीघा व खसरा नम्बर 96 रकबा 3.08 बीघा भूमि पर हेमलता बेवा श्याममुरारी ब्राहम्ण का कब्जा होने से प्रतिवर्ष प्रार्थीगणों के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है।

विशेष कथन :– वादीगण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.05.1966 नामांतकरण संख्या 138 पर दी गयी आज्ञा से समस्त आवंटन निरस्त होकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सिवायचक दर्ज हुयी भूमि पर पुनः आवंटन/खातेदारी लेना चाहता है जो नियमानुसार सम्भव नहीं है, अतः अपील खारिज योग्य है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 ग्राम जगदीशपुरा, तहसील किशनगंज के अनुसार खाता संख्या नया 81 पुराना 74 की खसरा नं. 71/2, 73, 89, 96 कुल किता 4 कुल रकबा 37.11 बीघा आराजी श्याममुरारी पुत्र नन्दलाल, जाति ब्राहमण की गैर खातेदारी में दर्ज है। इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण सं. 266 से खसरा नं. 71/2 की 2.02 बीघा, खसरा नं. 89 की 7.19 बीघा, खसरा नं. 96 की 10.08 बीघा कुल 20.09 बीघा भूमि 25.05.1966 के आवंटन आदेश निरस्त होने से उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज हुई, यह नोट अंकित है। इसी प्रकार मुताबिक आदेश नामान्तरकरण सं. 267 दिनांक 16.05.2013 से खसरा नं. 71/2 की 8.00 बीघा, खसरा नं. 73 की 5.12 बीघा, खसरा नं. 89 की 3.10 बीघा कुल 17.02 बीघा पर श्याम मुरारी पुत्र नन्दलाल, जाति ब्राहमण, साकिन केलवाडा, तहसील शाहबाद के नाम खातेदारी दर्ज हुई यह नोट अंकित है। साथ ही नामान्तरकरण सं. 269 से श्याममुरारी फौत के स्थान पर दीनदयाल, धर्मवीर, याज्ञवलक्य पुत्रान विनिता, पुनिता पुत्रियां हेमलता बेवा का नाम दर्ज हुआ। नामान्तरकरण सं. 285 से जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग विनिता, पुनिता के हिस्से पर दीनदयाल, धर्मवीर, याज्ञवलक्य का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है।

तहसीलदार किशनगंज द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वाद की जांच पटवारी हल्का से करायी गई। पत्रावली में सलंग्न रेकॉर्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर वादीगण सिवायचक भूमि का पुनः आवंटन चाहते हैं। जबकि विवादित सिवायचक भूमि राज्य सरकार नामान्तरकरण सं. 138 एवं नामान्तरकरण सं. 266 से समस्त आवंटन सन् 1966 से निरस्त किये जाने के कारण पुनः आवंटन/खातेदारी नहीं दी जा सकती। तहसीलदार के इस जवाब की पुष्टि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल नामान्तरकरण सं. 266 से होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज व जवाब सरकार के आधार पर यह माना है कि राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी संवत 2069–2072 के अनुसार भूमि खाता सं. 81 के खसरा नं. 71/2 रकबा 10.02 बीघा, खसरा नं. 73 रकबा 5.12 बीघा, खसरा नं. 89 रकबा 11.09 बीघा, खसरा नं. 96 रकबा 10.08 बीघा पर श्याममुरारी पुत्र नन्दलाल के गैरखातेदारी में दर्ज थी। जिसमें से खसरा नं. 71/2 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नं. 89 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नं. 96 रकबा 0.08 बीघा भूमि दिनांक 25.05.1966 के आवंटन आदेश निरस्त होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हुई है। वादीगण को आवंटन निरस्त को बहाल हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए एवं उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2069–2072, नकल नामान्तरकरण सं. 266, 267 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 1 सिवायचक के अनुरूप होने से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना अपील के इस स्तर पर उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. हेमलता बेवा श्याम मुरारी
2. दीनदयाल पुत्र श्याम मुरारी
3. धर्मवीर पुत्र श्याम मुरारी

जातियान ब्राहमण, निवासीगण जगदीशपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2019/00057 (56/2019)** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**

मु.द.नं0 **18/2016** निर्णय व डिक्री दिनांक – **15.05.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26 माह 03** सन् **2025**

श्री **एस. के. राणा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **पैरोकार सरकार**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21 माह 04 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)